क्रम स	कोड सख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति एव सहमति की तिथि
4	KN/MLR/1083948	मेसर्स बीटा अजेंसी व प्रोजेक्टस प्र लि	01.01.2015
5	KN/MLR/1005952	मेसर्स गायत्री केडीट कापरेटिव सोसाईटी	01.08.2014
6	PY/PNY/33011	मेसर्स गीवी माईसूयर प्रा लि	01.06.2014
7	PY/PNY/31015	मेसर्स डा फीटच मशिन व पावर प्रा लि	01.06.2009
8	PY/KRP/45025	मेसर्स कनेक्ट इलेक्ट्रानिक्स	01.02.2006
9	KN/MLR/1026988	मेसर्स प्रिमीयर ट्रेडरस	01.09.2014
10	KN/MLR/1006011	मेसर्स जी सी ए इंडीया प्रा लि	12.07.2014
11	KN/MLR/1035543	मेसर्स श्री लक्ष्मी सुहार्दा क्रेडीट कॉपरेटिव लि	01.10.2014
12	Goa/13147	मेसर्स बिकोलिम गर्वनमेंट इंपलाई कापरेटिव क्रेडिट सोसाईटी	01.02.2012
13	Goa/13135	मेसर्स विलेज पंचायत, अंबेलीम	01.03.2012

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एतदद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

एम नारायणप्पा
अपर कें. भ. नि. आयुक्त
कर्नाटक व गोवा क्षेत्र, बेंगलूर

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली–110003, दिनांक 15 जुलाई 2015

सं. ए–36024/1/2006–स्था.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड दिनांक 10.8.1985 की अधिसूचना सं. के–14011/13/85–रा.रा.क्षे.यो.बो. जिसके द्वारा बोर्ड के सदस्य सचिव को विभिन्न नियमों के अधीन विभागाध्यक्ष होने के कारण मद संख्या ।।। क्रम संख्या 26 के अधीन धारा 22 (2) (ए) के तहत वित्तीय शक्तियाँ प्रतियोजित की गई थी, में और आगे संशोधन करता है। उक्त अधिसूचना को लोकहित की आवश्यकता में 14 दिसंबर 1987, 4 जुलाई 1991, 9 जनवरी 1997, 23 अगस्त 2006 तथा 10 फरवरी 2010 में समय समय पर सदस्य सचिव की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाए जाने के लिए संशोधन किया गया है और इसे दिनांक 9.6.2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 35वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।

यह संशोधन दिनांक 27.6.2015 अर्थात् अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने की सूचना की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।

निम्नलिखित संशोधन, अंशकालिक सलाहकार/विशेषज्ञों और इन–हाउस परामर्शदाता की निश्चित अवधि के आधार पर नियुक्ति के लिए सदस्य सचिव को शक्तियों के प्रत्यायोजन में किए गए हैः

परामर्शदाताओं/सलाहकारों/विशेषज्ञों की नियुक्ति के लिए वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करना	वर्तमान शक्तियाँ (प्रत्येक के लिए)	संशोधित शक्तियाँ (प्रत्येक के लिए)
सदस्य सचिव	रु. 6 लाख तक	रु. 10 लाख तक
निम्नलिखित सदस्यों की कमेटी – सदस्य सचिव, रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड (अध्यक्ष) – संयुक्त सचिव एवं एफ ए अथवा मुख्य लेखा नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय – शहरी विकास मंत्रालय में रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड से संबद्ध संयुक्त सचिव अथवा निदेशक – दो सहयोजित किए गए विषयवस्तु विशेषज्ञ	रु. 6 लाख से अधिक तथा रु. 10 लाख तक	रु. 10 लाख से अधिक तथा रु. 20 लाख तक

सदस्य सचिव द्वारा नियुक्त प्रत्येक इन–हाउस परामर्शदाता/सलाहकार/विशेषज्ञ को रु. 10 लाख से अधिक भुगतान नहीं किया जा सकता। उल्लेखित कमेटी द्वारा नियुक्त प्रत्येक इन–हाउस परामर्शदाता/सलाहकार/विशेषज्ञ को रु. 20 लाख से अधिक भुगतान नही किया जा सकता। अधिसूचना सं. ए–36024/1/2006–स्था. दिनांक 23.8.2006 की अन्य नियम एवं शर्ते बिना किसी बदलाव के लागू होंगी।

बी के त्रिपाठी
सदस्य सचिव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड